मुरअली व असग

उप जिला

वारिसान अमीर

विश्वनाथ जा

हिस्सा बेचान कर दिया। जिसका नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 15.1.1998 को हुआ। खसरा नम्बर 2343 में विमल कुमार पुत्र विश्वनााि द्वारा अपना खरीदशुद्दा 15/32 में से 3/32 एवं गुलाबी बेवा मरदाअली द्वारा अपना 1/32 हिस्सा जरिये रजि. विक्रय दिनांक 26.12.2005 से प्रार्थी कुतुबुद्दीन खां को बेचान कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 501 दिनांक 28.6.2006 को प्रार्थी कुतुबूद्दीन खां पुत्र गफुर खां के हक में स्वीकृत हुआ। विमल कुमार पुत्र विश्वनाथ द्वारा खसरा नम्बर 2367 में से 7 बिस्वा खसरा नम्बर 2368 में से 2 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2343 में अपना 15/32 हिस्से में से 12/32 हिस्सा प्रार्थी मकसूदाबानो पत्नि मौहम्मद मुस्तकीम के हक में बेचान कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 502 दिनांक 28.6.2006 को प्रार्थीया के हक में स्वीकृत हुआ। अली हुसैन व छोटू अली पुत्र भूर अली द्वारा खसरा नम्बर 2343 मिन में से 4 बिस्वा एवं पुतनअली व सुबरात अली पुत्र लाल मौहम्मद तथा सकीना उर्फ पतासी, हदीसन बीबी पुत्रियां लाल मौहम्मद द्वारा खसरा नम्बर 2368 में से 5 बिस्वा 10 बिस्वान्सी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 8.11.2005 से श्रीमती मकसूदा बानोपत्नि मौहम्मद मुस्तकीम के हक में बेचान कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 503 दिनांक 28.6.2006 को प्रार्थीया के हक में स्वीकृत हुआ । विक्रय के आधार पर प्रार्थीगण के हम में तस्दीक उक्त नामान्तकरण संख्या 501, 502, 503 दिनांक 28.6.2006 का नोट वर्किंग जमाबंदी में अंकित होने के बावजूद भी दौराने बन्दोबस्त विभाग ने वर्किंग जमाबंदी से आधारभूत जमाबंदी मुर्तिब करते समय बिना सक्षम अधिकार/न्यायालय के आदेश के बिना सहवन से आधारभूत जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम का अंकन नही कर पूर्व खातेदार के नाम का अंकन कर दिया । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार ुरमायाकर प्रार्थीगण की कयशुद्दा आराजी बाबत नामान्तकरण संख्या 501, 502, 503 दिनांक 28.6.2006 के अनुसार अधिकार अभिलेख जमाबंदी में प्रार्थीगण का नाम वर्किंग जमाबंदी अनुसार वर्तमान आधारभूत जमाबंदी में अंकन कर दुरूस्त किए जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। राजकीय पेरोकार ने तहसीलदार अजमेर के द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थिया द्वारा ग्राम दौराई के वर्किंग रेकार्ड एवं नामान्तकरणों के आधार पर हाल रेकार्ड मे कयशुद्दा आराजी पर अंकन दुरूस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक वर्किंग जमाबंदी खसरा नम्बर 2343 का हाल

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

में नवीन खसरा नम्बर 2405 में मिलान किया गया । गत खसरा नम्बर 2343 के ...ता लाल मौहम्मद, महमूद हुसैन, हुसैन अली पि0 असगर अली 318 हिस्सा तथा गुलाबी ...नी मरदान अली, बाबू अली, चांद अली, मुन्ना अली पि0 मरदान अली हिस्सा 1/8 द्वारा प्रार्थिया के पक्ष में विक्रय कर दिये जाने से वर्किंग जमाबंदी में अंकन दर्ज है । परन्तु हाल रिकार्ड में वर्किंग खसरा नम्बर 2343 के विक्रेतागण द्वारा पुनः विक्रय कर दिये जाने से अन्य केता खातेदारान के नाम अंकन दर्ज हो गया है। मुताबिक साबिक एवं हाल रेकार्ड के आधार पर प्रार्थिया द्वारा क्रय किये जाने के पश्चात अन्य खातेदारान के पक्ष मे क्रय शुद्वा रकबे के अनुपात में हिस्सा प्रस्तावित किये जिसमें कुतुबुद्दीन पुत्र गफूर खां 1/8 हिस्सा, मकसूदा पुत्र मो0 मुस्तकीम 1185/2300 हिस्सा , भुवनेशराव पुत्र श्री कृष्ण राव का 48/2300 हिस्सा एवं संजयपाल सिह पुत्र बेरिलाल 779/2300 हिस्सा तथा खसरा नम्बर वर्किंग 2367 रकबा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 2368 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 2404 रकबा 0. 23, 2406 रकबा 0.10, 2406/3005 रकबा 0.08 बने है । वर्किंग जमाबंदी अनुसार जरिये नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 4.1.98, 502 दिनांक 28.6.2006, 503 दिनांक 28.6.2006 से वर्किंग खसरा नम्बर 2367, 2368 में प्रार्थिया के पक्ष में क्रमश 00—07—00, 00—08—00 बीघा दर्ज है। परन्तु हाल जमाबंदी में नवीन खसरा नम्बरान में विक्रेता के वारिसान के नाम दर्ज हो गया है। मुताबिक उपरोक्त नामान्तकरण 73, 502, 503 के अनुसार हाल खसरा नम्बरान पर खिजमत अली उर्फ पूतन अली, सुबातअली, हदीसन बीबी एवं सकीना उर्फ पतासी पिसरान लाल मौहम्मद के संयुक्त हिस्से में से प्रार्थया के पक्ष में रकबा 0.12 हैक्टर दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार अजमेर की मुताबिक रिपोर्ट मुताबिक वर्किंग जमाबंदी खसरा नम्बर 2343 का हाल रैकार्ड में नवीन खसरा नम्बर 2405 में मिलान किया गया । गत खसरा नम्बर 2343 के विक्रेता लाल मौहम्मद, महमूद हुसैन, हुसैन अली पि0 असगर अली 318 हिस्सा तथा गुलाबी पत्नी मरदान अली, बाबू अली, चांद अली, मुन्ना अली पि0 मरदान अली हिस्सा 1/8 द्वारा प्रार्थिया के पक्ष में विक्रय कर दिये जाने से वर्किंग जमाबंदी में अंकन दर्ज है । परन्तु हाल रिकार्ड में वर्किंग खसरा नम्बर 2343 के विक्रेतागण द्वारा पुनः विक्रय कर दिये जाने से अन्य केता खातेदारान के नाम अंकन दर्ज हो गया है। मुताबिक साबिक एवं हाल रेकार्ड के आधार

पर प्रार्थिया द्वारा क्रय किये जाने के पश्चात अन्य खातेदारान के पक्ष में [illegible]
अनुपात में हिस्सा प्रस्तावित किये जिसमें कुतुबुद्दीन पुत्र गफूर खां 1/8 [illegible]
पुत्र मो0 मुस्तकीम 1185/2300 हिस्सा, भुवनेशराव पुत्र श्री कृष्ण राव का 46/[illegible]
एवं संजयपाल सिह पुत्र बेरिलाल 779/2300 हिस्सा तथा खसरा नम्बर वर्किंग [illegible]
15 बिस्वा खसरा नम्बर 2368 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 240[illegible]
23, 2406 रकबा 0.10, 2406/3005 रकबा 0.08 बने है। वर्किंग जमाबंदी अनुसार [illegible]
नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 4.1.98, 502 दिनांक 28.6.2006, 503 दिनांक 28.6.200[illegible]
वर्किंग खसरा नम्बर 2367, 2368 में प्रार्थिया के पक्ष में क्रमश 00-07-00, 00-08-00 [illegible]
दर्ज है। परन्तु हाल जमाबंदी में नवीन खसरा नम्बरान में विक्रेता के वारिसान के नाम दर्ज हो
गया है। मुताबिक उपरोक्त नामान्तकरण 73, 502, 503, के अनुसार हाल खसरा नम्बरान [illegible]
खिजमत अली उर्फ पूतन अली, सुबातअली, हदीसन बीबी एवं सकीना उर्फ पतासी पिसरान
लाल मौहम्मद के संयुक्त हिस्से में से प्रार्थना के पक्ष में रकबा 0.12 हैक्टर दर्ज किया जाना
उचित बताया गया है। अतः प्रार्थीयॉगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू
राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर तहसीलदार अजमेर को आदेश दिए जाते है कि ग्राम दौराई तहसील अजमेर के नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 4.1.98, 502 दिनांक 28.6.2006, 503 दिनांक 28.6.2006 एवं 501 दिनांक 28.6.2006 के आधार पर पूर्व वर्किंग जमाबंदी अनुसार हाल राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नही हुआ हो तो रिकॉर्ड से मिलान/जॉच कर जरिये नामान्तकरण करे। आदेश की प्रति तहसीलदार अजमेर को प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 07.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

महावीर सिंह
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी,अजमेर